जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
तृतीय तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक सं.: BRLPS/Proj-Livestock/2274/2024/Vol.-II /3448 दिनांक: 10.02.2025

कार्यालय आदेश

जीविका के पशुधन प्रभाग द्वारा पशु सखी मॉडल को राज्य के 38 जिलों में लागू किया जा रहा है | समुदाय में पशु सखी बकरी सेविका के रूप में कार्य कर रही है | उन्हें बकरियों के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, रोगो की रोकथाम एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है | ये सेवाएं न केवल बकरियों के स्वास्थ्य एवं उत्पदकता में सुधार लाते हैं बल्कि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में भी योगदान देती हैं |

प्रायः यह देखा गया है कि बकरी पालकों के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा सेवा का उपयोग किये जाने से उनकी लागत में वृद्धि हो जाती है | ग्राम स्तर पर इसके सामाधान हेतु, बिहार के पांच जिलों पटना, नालंदा, नवादा, गया और बांका में पारंपरिक पशु चिकित्सा प्रबंधन पद्धतियों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है | इसमें प्रशिक्षित पशु सखियों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार दवाओं का उपयोग कर बकरियों का ईलाज किया जा रहा है | यह एलोपैथिक दवाओं से सस्ता एवं पुर्णतः सुरक्षित है इससे बकरी पालकों का एलोपैथिक दवाओं पर निर्भरता कम होगी |

इन पांच जिलों के 36 मास्टर ट्रेनर को **NDDB** और **PRADAN** के सहयोग से पारंपरिक पशु चिकित्सा प्रबंधन पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है |

पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धति के पायलेटिंग के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन किया जाना है:-

- सभी प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर पशु सखी को न्यूनतम 20 पशु सखियों के साथ संबद्ध किया जायेगा, जिन्हें संबंधित मास्टर ट्रेनर पशु सखी द्वारा पारंपरिक पशु चिकित्सा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जायेगा |
- सभी प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर पशु सखी की जिम्मेदारी होगी कि उनसे संबद्ध सभी पशु सखियों को आवश्यकता अनुसार हैण्ड होल्डिंग सहयता प्रदान करना एवं एक महीने में दो-तीन बार क्षेत्र भ्रमण करना |
- संबंधित पशुधन प्रबंधक / युवा पेशेवर / इंचार्ज मास्टर पशु सखी द्वारा की गयी पशु सखी मैपिंग के विवरण का रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में राज्य कार्यालय को साझा करेंगे |

- प्रत्येक मास्टर ट्रेनर पशु सखी अपने से संबद्ध पशु सखियों के साथ एक मासिक बैठक आयोजित करेंगी जिसमें कार्य योजना, रिपोर्टिंग और आवश्यकता आधारित रिफ्रेसर ट्रेनिंग पर चर्चा कर अंतिम स्वरूप देंगी | मास्टर ट्रेनर पशु सखी अपने से संबद्ध पशु सखियों द्वारा पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धति के तहत उपचार किये गये मामलों को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट.....में संलग्न) में संकलित करेंगी और प्रखंड स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखण्ड नोडल को रिपोर्ट समर्पित करेंगी |

पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित बजटीय प्रावधान किए गए है:

1. मास्टर ट्रेनर पशु सखी द्वारा सभी प्रशिक्षित पशु सखियों के साथ प्रतिमाह एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यदि बैठक उसी प्रखंड मे है तो ₹250 प्रति बैठक संसाधन शुल्क और प्रखंड के बाहर आयोजित की जाती है तो ₹350 प्रति बैठक संसाधन शुल्क देय होगा। यह विवरण कार्यालय आदेश संख्या 794, दिनाँक 08/06/2018 के पृष्ठ संख्या 4 और बिंदु 9 में उल्लिखित है।

मास्टर ट्रेनर पशु सखी द्वारा क्षेत्र मे संबद्ध पशु सखियों को सहयोग के लिए लागत:

- *मास्टर ट्रेनर पशु सखी कार्य क्षेत्र पर संबद्ध पशु सखियों को सहयोग देने के लिए 2-3 दिन का समय देंगी।*
- *यदि भ्रमण क्षेत्र उसी प्रखंड मे है तो ₹250 प्रति भ्रमण संसाधन शुल्क और प्रखंड के बाहर आयोजित की जाती है तो ₹350 प्रति भ्रमण संसाधन शुल्क देय होगा। यह विवरण कार्यालय आदेश संख्या 794, दिनांक 08/06/2018 के पृष्ठ संख्या 4 और बिंदु 9 में उल्लिखित है।*

<u>उपचार किये गये बकरियों का डाटा संग्रह:</u>

मास्टर ट्रेनर पशु सखी एवं उनसे संबद्ध पशु सखियों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किये गये प्रत्येक घर का डाटा संग्रहण करना होगा | इस कार्य हेतु प्रत्येक घर ₹20 का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा | यह अधिकतम 50 घरों के लिए होगा | संग्रह किया गया डाटा को प्रखण्ड लाइवस्टॉक नोडल को जमा करना होगा | मास्टर ट्रेनर पशु सखी द्वारा एक Base Line सर्वे किया जायेगा जिसके लिए उन्हें ₹16 प्रति घर दिया जायेगा | Baseline सर्वे करने की अधिकतम सीमा 10 घर प्रति मास्टर ट्रेनर पशु सखी होगी | पायलेटिंग की अवधि समाप्त होने पर मास्टर ट्रेनर पशु सखी द्वारा एक End Line सर्वे भी किया जायेगा जिसके लिए उन्हें ₹16 प्रति घर दिया जायेगा | End Line सर्वे करने की अधिकतम सीमा 50 घर प्रति मास्टर ट्रेनर पशु सखी के लिए होगी |

ईलाज के लिए सेवा शुल्क:-

मास्टर ट्रेनर पशु सखी एवं पशु सखी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर काम कर रही है बकरी के लिए ₹40 और गाय / भैंस के लिए ₹100 सेवा शुल्क पशुपालक से प्राप्त करेंगी | यह सेवा शुल्क उपचार की सामग्री लागत के अतिरिक्त होगा और इसे सामुदायिक आधारित सेवाओं के तहत माना जायेगा |

10/2/25

(हिमांशु शर्मा)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि:

1. Director/OSD/AO/CFO/PC/PS
2. SPM/DPM/PM-Livestock
3. All DPMs/BPMs
4. All Livestock Managers/YPs/In-Charge
5. IT Section
6. Concerned file.

इथनोवेट उपचार विवरण

पशु-सखी का विवरण:	कार्य स्थान का विवरण:	रिपोर्ट का माह:
पशु-सखी का नाम:	जिला: प्रखंड: पंचायत:	
पशु-सखी का प्रकार (टीक करें) |√| : मास्टर पशु-सखी		पशु-सखी		

क्र. सं.	पशुपालक का नाम	गाँव का नाम	VO का नाम	संकुल का नाम	पशु का प्रकार		पशु का रंग/ पहचान हेतु चिन्ह	संभावित रोग का नाम (यदि पहचान कर पाए हैं तो)	रोग के प्रमुख लक्षण	इथनोवेट द्वारा ईलाज के पूर्व किसी अन्य विधि से किया गया ईलाज हो तो उसका विवरण दीजिए	इथनोवेट अंतर्गत किए गए इलाज का विवरण	इथनोवेट शुरुआत की तिथि	इथनोवेट समाप्ति तिथि	इथनोवेट पूर्ण होने के बाद पशु की स्थिति (टीक करें) |√|
					(बकरी/ गाय/भैंस)	मेमना/बछरा								
1									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
2									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
3									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
4									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
5									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
6									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
7									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
8									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
9									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]
10									1. 2. 3.					1. पूर्ण निरोग [ ] 2. आंशिक निरोग [ ] 3. निरोग नहीं हुआ [ ]

BPIU द्वारा सत्यापन

जिला EVM नोडल के द्वारा